न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर

बइजलास अशोक कुमार, आर.ए.एस

प्रकरण संख्या: 62/2019/आवेदन 136 एलआरएक्ट

1. बोदूराम पुत्र कालूराम जाति कुम्हार (कुमावत) निवासी ग्राम पचार तह0 दांतारामगढ जिला सीकर। —प्रार्थी

ब ना म

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील दांतारामगढ जिला सीकर। —अप्रार्थी

आवेदन अंतर्गत धारा 136 एलआर एक्ट

उपस्थिति—

1. श्री सुरेन्द्र सिंह विश्राम, वकील प्रार्थी ओर सें।

नि र्ण य दिनांक — 22.10.2019

1. आवेदन के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से है कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 2609, 2823/2054 किता 2 कुल रकबा 0.69 है0, ख0नं0 2059 लगायत 2063 किता 5 कुल रकबा 1.96 है0 वाके ग्राम पचार पटवार हल्का पचार तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में अवस्थित है जिसमें प्रार्थी का हिस्सा क्रमशः 1/3 व 1/36 कब्जे, काश्त व खातेदारीशुदा है। उक्त भूमियों में प्रार्थी का नाम मिठू पुत्र कालू दर्ज है जबकि प्रार्थी का सही नाम बोदूराम पुत्र कालूराम है। प्रार्थी को दोनों ही नाम अर्थात मीठू व बोदूराम के नाम सें जाना पहचाना व पुकारा जाता है। प्रार्थी के अन्य सभी दस्तावेजों आधारकार्ड, राशनकार्ड, पेनकार्ड, एवं अन्य समस्त रिकॉर्ड में नाम बूदूराम दर्ज है परन्तु राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम गलत रूप सें मीठू दर्ज हो गया है एवं दुरूस्त होने योग्य हैं। अतः आवेदन पेश करना आवश्यक हुआ है। वादकारण प्रार्थी को राजस्व कर्मचारियों द्वारा उक्त दुरूस्ती किये जाने सें इन्कार होने पर उत्पन्न हुआ है जो क्षण प्रतिक्षण निरंतर रूप सें जारी है। अतः आवेदन अंतर्गत धारा 136 एलआर एक्ट पेश कर अंत में यह इस्तदुआ चाही गई कि आवेदन स्वीकार कर प्रार्थी का नाम मीठू पुत्र कालू के स्थान पर बोदूराम पुत्र कालूराम राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्त किया जावे।
2. आवेदन पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार दांतारामगढ सें तथ्यात्मक रिपोर्ट मंगवाई गई। वकील वादी की बहस एकपक्षीय सुनी गई। बहस के दौरान प्रार्थी के अधिवक्ता ने आवेदन में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा निवेदन

उपखण्ड अधिकारी,दांतारामगढ

Scanned by CamScanner

किया कि प्रार्थी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्त किया जाकर मीठू पुत्र कालू के स्थान पर बोदूराम पुत्र कालूराम दर्ज किया जावे।

3. बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी पर मनन किया तथा आवेदन में वर्णित तथ्यों का अवलोकन किया। तहसीलदार दांतारामगढ की रिपोर्ट का अधोपांत अवलोकन किया गया । तहसीलदार रिपोर्ट के अनुसार ''ग्राम पचार के ख0नं0 2609, 2823/2054, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063 में खातेदार मिठू पु0 कालूराम कुमावत दर्ज है मिठू व बोदू दोनों एक ही व्यक्ति है। उक्त भूमि BRKGB शाखा पचार मूर्तहिन दर्ज है। उक्त भूमि जरिये विरासत नामां0 संख्या 881 ग्राम पचार में कालूराम पु0 रामला सें प्राप्त हुई है। सभी संलग्न साक्ष्य भी बोदूराम पु0 कालूराम के नाम दर्ज है। अतः रिपोर्ट पटवारी व संलग्न साक्ष्यों के आधार पर मिठू पु0 कालूराम के स्थान पर बोदूराम पु0 कालूराम की अभिशंषा सहित रिपोर्ट प्रेषित है।'' प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया तथा तहसीलदार रिपोर्ट तथा ग्राम पंचायत द्वारा जारी प्रमाण पत्र के आधार पर न्यायहित में **प्रार्थी का आवेदन अंतर्गत धारा 136 एलआर एक्ट स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम पचार तह0 दांतारामगढ की भूमि खसरा नम्बर 2609, 2823/2054 किता 2 कुल रकबा 0.69 है0, ख0नं0 2059 लगायत 2063 किता 5 कुल रकबा 1.96 हैक्टेयर में खातेदार प्रार्थी का नाम मिठू पु0 कालूराम के स्थान पर बोदूराम पुत्र कालूराम जाति कुम्हार (प्रजापति) सा0देह खातेदार दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। शेष जमाबंदी बदस्तूर रहे।** तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार दांतारामगढ को तहरीर जारी हो।

यह निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 22.10.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर से कम हो ।

(अशोक कुमार)
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ (सीकर)

Scanned by CamScanner